न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 137 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 227

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

कन्हैयालाल पुत्र वागाराम
जाति मेगवाल
निवासी बाणियावास
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.वीरोदेवी पत्नी आईदानराम
2.थानीदेवी पत्नी वागाराम
3.प्रमेश कुमार पुत्र वागाराम
4.माणकराम पुत्र वागाराम
5.जगदीश पुत्र वागाराम
6.खुशालाराम पुत्र हमीराराम
जाति मेगवाल निवासी बाणियावास
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
7.शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मण्डली तहसील पचपदरा
8.गुणाराम पुत्र बनिया
9.देवाराम पुत्र बनिया
10.नरसिंगाराम पुत्र खेताराम
11.पुरो पत्नी बनिया
12.पाबुराम पुत्र खेताराम
13.बलाराम पुत्र बनिया
14.रेवतराम पुत्र खेताराम
15.रामाराम पुत्र खेताराम
जाति माली निवासी बणियावास
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16.शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक बागावास तहसील पचपदरा
17.शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बागावास तहसील पचपदरा
18.भंवरी देवी पत्नि भैराराम
19.कसाराम पुत्र जयराम
20.दुर्गाराम पुत्र गोविन्दराम
21.पपाराम पुत्र जयराम
22.सुखाराम पुत्र गोविन्दराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

23.सुजी देवी पत्नि जयराम
जाति मेगवाल निवासी बाणियावास
तहसील पचपदरा
24.अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण
विभाग खण्ड् बायतु
25.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सांवलाराम मेधवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 6 व 19 से 23
3.विप्रार्थी संख्या 1 व 7 से 18 एवं 24,25 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 22.4.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 2 से 6 व 19 से 23 की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री सांवलाराम मेघवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 6 की तरफ से जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 19 से 23 अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 7 से 18 एवं 24,25 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होनें के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करनें में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमांवे जावे।

4. विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के लगती विप्रार्थी की खातेदारी खेत अवस्थित है। विप्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन पक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर अकसर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि के साथ विप्रार्थी संख्या 2 से 6 की खातेदारी भूमिं की भी नेखमबंदी के आदेश किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 337/40,338/40 विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी,खसरा संख्या 339/40 विप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी;खसरा संख्या 340/40 विप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 41 विप्रार्थी संख्या 5 व 6 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 56 व 193/54 विप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है,साथ ही विप्रार्थी की ओर से काउण्टर क्लेम पेश किए जाने के कारण वे भी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फ़र्द दिनांक 06.5.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन एवं विप्रार्थी का काउण्टर क्लेम आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111;128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का काउण्टर क्लेम आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बाणियावास पटवार हल्का बाणियावास तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 336/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 की खातेदारी खसरा संख्या 337/40 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टयर,खसरा संख्या 338/40 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टयर , खसरा संख्या 339/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टयर,खसरा संख्या 340/40 क्षेत्रफल 0.6394 हैक्टयर व खसरा संख्या 41 क्षेत्रफल 1.9344 हैक्टयर एंव खसरा संख्या 56 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 193/54 क्षेत्रफल 0.4452 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्यवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/04/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 22/04/25
बालोतरा